10.11.25	प्रकरण उप०। पत्रावली से संबंधित मूल वाद का निस्तारण हो जाने के कारण प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा का [illegible] पर खारिज किया जाता है पत्रावली मूल शुमार तेरह नम्बर के साथ हो व दाखिल दफ्तर हो